# कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन

e-mail ID : wrdkhargone@gmail.com Cont. No. 07282-241220


पत्र क्र. 1297 /कार्य/रोशिया वन/2019 खरगोन, दिनांक 25/04/2019

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :— जिला खरगोन में स्वीकृत रोशिया तालाब का वन प्रकरण ऑनलाईन करने के संबंध में।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रं. मा.चि./2019/3023/दिनांक 09.04.2019

-----000-----

विषय संबंध में लेख है कि जिले में स्वीकृत रोशिया तालाब में प्रभावित वनभूमि कमशः जिला खरगोन की 3.40 हेक्टर तथा जिला खण्डवा की 26.44 हेक्टर का एफ.आर.ए. पृथक–पृथक रूप से कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार योजना में प्रभावित कुल 29.84 हेक्टर वनभूमि का एकजाई प्रकरण भारत सरकार के वेबपोर्टल पर ऑनलाईन किया गया था।

उक्त संबंध में आपके संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वनमण्डलवार पृथक–पृथक प्रकरण वेबपोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज कर हार्ड कॉपी प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, भोपाल में वन प्रभावित प्रकरणों की समीक्षा हेतु नियुक्त सलाहकार श्री निगम साहब से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 24.04.2019 को दूरभाष पर चर्चा कर मार्गदर्शन चाहा गया। उनके द्वारा दिये गये मार्गदर्शन अनुसार योजना में प्रभावित कुल भूमि का एकीकृत प्रकरण ही वेबपोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज होगा तथा योजना जिस जिले से संबंधित है, उस जिले के वनमण्डलाधिकारी ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

अतः प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही सम्पन्न हो, इस हेतु किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में आप, आपके वरिष्ठ (APCCF) कार्यालय में सम्पर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करे, ताकि आगामी कार्यवाही पूर्ण करने में आवेदक विभाग एवं वन विभाग को कोई कठिनाई अथवा संशय की स्थिति न हो।

कृपया मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण की कार्यवाही का अनुरोध है।

(एन.एल. अहिरवार)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

पृ. क्र. 1298 /कार्य/रोशिया वन/2019 खरगोन, दिनांक 25/04/2019

प्रतिलिपि:—

1. मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुरोध।
4. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, भीकनगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश है, वन विभाग में सम्पर्क कर मार्गदर्शन अनुसार प्रकरण ऑनलाईन दर्ज कर, की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(एन.एल. अहिरवार)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

29/4/19